फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री पुष्कर — **विपक्षी : श्री उंकार**

किस्म मुकदमा – 88,188 रा.का. अधिनियम — **पत्रावली संख्या : 08/21**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 04.08.2022

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा वाद को स्वीकार कर डिक्री किया जाने पर सहमति व्यक्त की। उभय पक्षकारान को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक सम्पति होना बताया जो वर्तमान में प्रतिवादी सं. 1 उंकार पिता रामा जाट के नाम दर्ज हैं। प्रतिवादी सं. 1 उंकार वादीगण के दादा हैं। उंकार के 3 वारिस शंकरलाल, लेहरीलाल व पुष्पा है जिनमें उंकार के पुत्र शंकरलाल की मृत्यु होने से उनके वारिस वादीगण सं. 1 से 3 हैं। भूमि पैतृक होने से वादीगण द्वारा अपने हिस्से की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया। उंकार के नाम दर्ज भूमि में वादीगण का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा बनता हैं, जिसमें प्रतिवादीगण द्वारा वादपत्र को स्वीकार कर वादीगण के नाम भूमि दर्ज किये जाने पर सहमति व्यक्त की हैं। अतः उभय पक्षकारान सहमत होने से आपसी सहमति के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

:: **आदेश** ::

परिणामस्वरूप वाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा लदाना पटवार हल्का वासनीकलां की आराजी नम्बर 227, 231, 232, 744, 761, 773, 774, 778, 779 किता 9 रकबा 3.1160 हेक्टेयर भूमि में वादीगण को संयुक्त रूप से 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीगण को उनके हिस्से कब्जे की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(कपिल कुमार कोठारी)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) मावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Kothari
Date: 2022.08.18 16:41:10 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री कपिल कुमार कोठारी, R.A.S.

मुकदमा नम्बर : 08/21 (वाद) GCMS No. : 2021/14

उनवान

1. श्री पुष्कर पिता स्व. शंकर जाट निवासी लदाना तह. मावली।
2. श्री सुरज पिता स्व. शंकर जाट ना.बा.ब.वि. माता पारस पत्नी स्व. शंकर जाट निवासी लदाना तह. मावली।
3. श्रीमती पारस पत्नी स्व. शंकर जाट निवासी लदाना तह. मावली।

...................वादीगण

बनाम

1. श्री उंकार पिता रामा जाट निवासी लदाना तह. मावली।
2. श्री लहरीलाल पिता उंकार जाट निवासी लदाना तह. मावली।
3. श्रीमती कैलाशबाई पत्नी लेहरीलाल जाट निवासी लदाना तह. मावली।
4. श्रीमती पुष्पा पुत्री उंकार पत्नी लेहरीलाल जाट निवासी लोठियाना तह. डूंगला।
5. उप पंजीयक अधिकारी उप पंजीयन कार्यालय सनवाड तह. मावली।
6. पटवारी, पटवार हल्का वासनीकलां तह. मावली।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

..............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु कपिल कुमार कोठारी, R.A.S. मिनजानिब मुद्वायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.का.अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा लदाना पटवार हल्का वासनीकलां की आराजी नम्बर 227, 231, 232, 744, 761, 773, 774, 778, 779 किता 9 रकबा 3.1160 हेक्टेयर भूमि में वादीगण को संयुक्त रूप से 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीगण को उनके हिस्से कब्जे की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 04.08.2022 को जारी की गई।

(कपिल कुमार कोठारी)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Kothari
Date: 2022.08.18 16:41:10 IST
Reason: SelfAttested